आयकर अधिनियम पर जागरूकता सत्र का आयोजन

कोलकाता. कलकत्ता चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से बुधवार को 'आयकर अधिनियम के तहत सर्च और जब्ती के लिए व्यावहारिक दिशानिर्देश' विषय पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया है, जिसमें चैंबर के अध्यक्ष हरिशंकर हलवासिया सहित सम्मानित अतिथियों और चैंबर के सदस्यों ने भाग लिया.सत्र के दौरान विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता, लेखक व आयकर सलाहकार डॉ पारस कोचर ने आयकर अधिनियम की धारा 132 की जटिलताओं के बारे लोगों को जानकारियां दी. कलकत्ता चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष माधव प्रसाद सुरेका ने सत्र का संचालन किया. वहीं, चैंबर के अध्यक्ष हरि शंकर हलवासिया ने इस आयोजन में उनके अमूल्य योगदान के लिए डॉ पारस कोचर के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया.